



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269266
CG-DL-E-12012026-269266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 136]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के बारामूला जिले में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-701 रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 13+000 तक मौजूदा का उन्नयन दो लेन से चार लेन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-701 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 13+000 तक के रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड के लिए भूमि अर्जन हेतु प्रभावित ग्रामों की सूची।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH701 के कि.मी 0 से कि.मी 13 तक	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	डांगीवाचा	1 गुण्ड करीम खान

[फा. सं. Rev/LAK/05/2020]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 146(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column(4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for up gradation of existing 2 lane to 4 lane road from **Km.0+000 to Km. 13+000 to Rafiabab-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road** Newly declared National Highway **NH-701** in the district of **BARAMULLA** in the **UT of Jammu & Kashmir**.

SCHEDULE

Land acquisition on Newly declared National Highway NH-701 Rafiabab-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road from Km.0+000 to Km 13+000 in the UT of Jammu & Kashmir.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Deputy Commissioner	NH701 KM 0 TO KM 13	JAMMU & KASHMIR	BARAMULLA	Dangi wacha	1 Gund Karim Khan

[F. No. Rev/LAK/05/2020]

SHAIKH AMINKHAN, Director